दिनांक 02.02.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर व थाना चिलकाना की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अवैध रूप से नशीली दवाइयों की तस्कारी करने वाला 01 नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 4100 नशीले इन्जेक्शन व 62,400 नशीले कैप्सूल तथा 6600 नशीली गोलियां व 01 मोबाईल फोन बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में मादक पदार्थो की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशा तस्कर/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर/ग्रामीण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम के कुशल नेतृत्व में दिनांक 01.02.2025 को थाना चिलकाना व थाना कोतवाली नगर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान **01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त नवीन सैनी पुत्र रामपाल निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर अहाडी, थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को मौहल्ला राधा विहार कालोनी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 4100 नशीले इंजेक्शन व 62,400 नशीले कैप्सूल तथा 6600 नशीली गोलियां व 01 मोबाईल फोन बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 24/2025 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट बनाम नवीन सैनी व 02 अन्य के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः-गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि मैं तथा मेरे दो अन्य साथी मिलकर नशीली गोलिया, इंजेक्शन तथा कैप्सूल आदि का व्यापार करते है मेरे दोनो साथी पहले दवाईयों का काम करते थे जिस कारण उन दोनों के दवाइयों के बडे सप्लायरो से अच्छे सम्बन्ध है इसी का फायदा उठाकर हम लोग उनसे नशीली गोलियां, कैप्सूल व इंजेक्शन मंगा लेते है तथा यहां लाकर अपने एक साथी के घर पर रख लेते है फिर मै यहां से थोडी-थोडी ले दवाइयां व इंजेक्शन ले जाकर क्षेत्र में सप्लाई कर देता हूँ आज भी मैं दवाईयां लेने के लिये आया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

नवीन सैनी पुत्र रामपाल निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर अहाडी, थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 62,400 नशीले कैप्सूल
- 4100 नशीले इंजेक्शन
- 6600 नशीली गोलियां

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र गौतम थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।

2. उ0नि0 श्री रविन्द्र धामा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
4. है0का0 विपिन मान थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
5. का0 प्रदीप शर्मा थाना कोतवाली नगर जिला सहारनपुर।
6. उ0नि0 श्री नरेश कुमार थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।
7. उ0नि0 श्री राजकुमार सारन थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।
8. म0उ0नि0 रश्मि थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।
9. है0का0 378 तरुण कुमार थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।
10. का0 1059 अनुज राणा थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।

दिनांकः 02.02.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर तमंचा लहराते हुए फोटो वायरल करने वाले 01 अभियुक्त को तमंचे सहित किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.02.2025 को चैकिंग के दौरान थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल फोटो का संज्ञान लेते हुए अवैध तमंचे के साथ फोटो वायरल करने वाले एक अभियुक्त **हसीन पुत्र जाबिर निवासी मौ0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को ओलरा रोड़ कस्बा नानौता से गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त के कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर नाजायज बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना नानौता पर मु0अ0स0 25/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मै लोगो को डराने धमकाने व गलत काम करने के लिये अपने पास तमन्चा रखता हूँ। इसी लिए मैने हाथ मे तमंचा लेकर अपना फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। यह तमंचा मैने राह चलते एक व्यक्ति से खरीदा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

हसीन पुत्र जाबिर निवासी मौ0 शेखजादगान कस्बा व थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमन्चा 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष सचिन पूनिया थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 धीरज सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 सुरेन्द्र शर्मा थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 597 मोहसीन खान थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 02.02.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु अवैध शस्त्र रखने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.02.2025 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिंग/गस्त के दौरान अभियुक्त **यश शर्मा उर्फ सन्नी उर्फ पंडित पुत्र नरेन्द्र शर्मा निवासी मौ0 राधा विहार नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर** को हलीमा स्कूल के पार्क के पास से 01 अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 49/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

यश शर्मा उर्फ सन्नी उर्फ पंडित पुत्र नरेन्द्र शर्मा निवासी मौ0 राधा विहार नुमाईश कैम्प थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

01 नाजायज चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 अजयपाल सिह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. है0का0 207 दिनेश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. है0का0 526 सनोवर ताज थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

दिनांक:02.02.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा ई-रिक्शा से बैटरी चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गयी ई-रिक्शा की 04 बैट्रिया बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 02.02.2025 को वादी मौ0 आशिक पुत्र श्री बाबू अहमद निवासी बडी लाईट के पास एकता कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की ई-रिक्शा की चार बैटरी चोरी कर ले जाने की सूचना के सम्बन्ध मे थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 35/25 धारा 305B बीएनएस,पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल चोरी घटना का संज्ञान लेकर घटना के अनावरण व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.02.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में ई-रिक्शा से बैट्री चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर/**अभियुक्त सलीम पुत्र फैजान निवासी एकता कालौनी गली नं0 03 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को स्टार सिटी कालौनी मे बने खाली मकान के अन्दर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी गयी **ई-रिक्शा की 04 बैटरी बरामद**। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभि0 द्वारा माफी मागंते हुए बताया कि मै नशा करने का आदि हूँ इसलिए कल रात्रि मे ई-रिक्शा की चार बैटरी चोरी की थी जिनहे मै आज बेचने जा रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

सलीम पुत्र फैजान निवासी एकता कालौनी गली नं0 03 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 04 बैटरी (ई-रिक्शा)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री यमुना प्रसाद थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 31 सुभाष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 974 अमित भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 840 अनुज कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 02/02/2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा शराब के ठेके में हुई चोरी की घटना में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 वाहन बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 08/12/2024 को वादी मुकदमा श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री नाथीराम निवासी ग्राम सालियार थाना तितरो जनपद सहारनपुर द्वारा थाना गंगोह उपस्थि आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरो द्वारा वादी के देशी शराब के ठेके से लगभग 80 पेटी शराब की तथा गल्ले से लगभग 20,000/-रुपये कैश चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध मे थाना गंगोह पर मु0अ0सं0-527/24 धारा 305(ए) बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे अपराध की रोकथाम व चोरी की घटनाओ के अनावरण व गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में तथा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 02/02/2025 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **मोमीन पुत्र इस्लाम नि0 मुन्डेट खादर थाना थानाभवन जिला शामली** को तीतरो तिराहे गंगोह से घटना में प्रयुक्त 01 वाहन बुलैरो पिकअप के साथ गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में 04 अभियुक्तों को गंगोह पुलिस द्वारा दिनांक 31.01.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार अभियुक्त मोमीन के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u> गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 07 व 08 दिसम्बर की रात को उसके द्वारा अपने साथियो के साथ मिलकर ग्राम दूधला थाना गंगोह जनपद सहारनपुर से ग्राम मछरौली थाना गंगोह जनपद सहारनपुर जाने वाले रास्ते से देशी शराब के ठेके में पीछे से दीवार काटकर देशी शराब की लगभग 80 पेटिया चुराई थी जिन्हे मैं अपनी बुलैरो पिकअप से ले गया था। 80 पेटियो में से लगभग 70 पेटिया हमने बेच दी थी। इससे पूर्व में अक्टूबर महीने में थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर में पडने वाले गांव उनाली में स्थित देशी शराब का ठेका काटकर लगभग 112 पेटिया चुराई थी। 110 पेटिया हमने फुटकर में बेच दी थी। साहब हम चोरी करके अपना खर्चा पानी चलाते है तथा अपने शौक पूरा करते है।

नोट- ग्राम उनाली मे स्थित देशी शराब के ठेका से शराब की पेटी चोरी होने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर पर मु0अ0सं0- 321/24 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-</u>

मोमीन पुत्र इस्लाम नि0 ग्राम मुन्डेट थाना थानाभवन जिला शामली

बरामदगी का विवरणः-

- 01 मोबाईल फोन ओप्पो
- 01 बुलैरो पिकअप नं0 UP19T4385

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

(1) मु0अ0सं0- 527/24 धारा 305(ए)/317(2) बी0एन0एस0 चालानी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

(2) मु0अ0सं0- 321/24 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस चालानी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक रोजन्त त्यागी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 अशोक कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 नीरज कुमार गंगोह जनपद सहारनपुर
4. है0कां0 258 अजित मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. कां0 326 रिंकू थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. कां0 2452 रक्षित थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
7. है0का0 362 अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

दिनांकः **02/02/2025**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण हेतु वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 02.02.2025 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त **दीपक कुमार पुत्र कल्लू निवासी इन्द्रा कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर** (वाद संख्या 967/20 धारा 379/411 भा0द0वि0) को इन्द्र कालोनी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

दीपक कुमार पुत्र कल्लू नि0 इन्द्रा कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 403/21 धारा 414 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 675/19 धारा 379, 411 भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सुन्दर सिंह थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर।
2. का0 178 मंयक राना थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
3. का0 2292 ब्रिजेश कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।